न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय सांचौर

पीठासीन अधिकारी – श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस)

राज0वि0प्र0संख्या 7/17 / 2018

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

छगनाराम वगैरा

राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार (भूमिधारी)
सांचौर जिला जालौर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित –

1. एडवोकेट श्री प्रकाशचन्द बिश्नोई प्रार्थीगण की ओर सें।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

–: निर्णय :–

दिनांक – 12-3-18

1. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 के तहत रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वांके सरहद मौजा कीलवा में स्थित खातेदारी की भूमि के पुराना खेत खसरा नम्बर 269 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा स्थित है तथा उक्त खातेदारी खेत के नवीन खसरा संख्या 414 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म बारानी दोयम,खसरा नम्बर 422 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 414/792 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता नवसृजित किया गया है तथा इसी प्रकार का प्रार्थीगण के खातेदारी का पुराना खेत खसरा नम्बर 266 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 424 रकबा 2.71 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 415 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता नवसृजित किया गया है तथा उक्त रास्ता पुराने नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता जो कि नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ में मार्क ए से बी सीधा चलता था। लेकिन द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने उक्त रास्ता से लगता हुआ नया रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में नवीन नक्शा ट्रेस में मार्क सी.डी.इ.एफ पर खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दिया है तथा इससे पहले वादग्रस्त भूमि में न तो कभी मौके पर रास्ता चलता तथा न ही वर्तमान मे मौके पर उक्त रास्ता मौजदू है। इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने लिपिकीय भूल के कारण राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज कर दिया है। जो

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

प्रार्थी की खातेदारी में भूलवंश दर्ज हुआ है। इसलिए ऐसी सुरत मे उक्त लिपिकीय भूल / त्रुटि को संशोधित की जावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया,जिस पर अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र देकर राजस्व रेकर्ड मे द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गलत रूप एवं लिपिकीय भूल के कारण दर्ज रास्ता को संशोधन करने बाबत कोई एतराज न होना प्रकट किया तथा राजस्व रेकर्ड में सुधार किये जाने की कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया।

3. मैने उक्त पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वर्तमान जमाबंदी,नक्शा ट्रेस,जमाबंदी पुरानी ,ट्रेस नक्शा पुराना तथा मिलान क्षैत्रफल के आधार पर अप्रार्थीगण ने भी यही ही तथ्य स्वीकार किये गये है। ऐसी सुरत मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम कीलवा में स्थित खातेदारी की भूमि के पुराना खेत खसरा नम्बर 269 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा स्थित है तथा उक्त खातेदारी खेत के नवीन खसरा संख्या 414 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म बारानी दोयम,खसरा नम्बर 422 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 414/792 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता नवसृजित किया गया है तथा इसी प्रकार का प्रार्थीगण के खातेदारी का पुराना खेत खसरा नम्बर 266 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 424 रकबा 2.71 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 415 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता नवसृजित मे स्थित लिपिकीय भूल के कारण दर्ज हुआ था। जो कि त्रुटिवंश एवं लिपिकीय भूल से दर्ज हुआ था। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे त्रुटिवंश दर्ज रास्ते को दुरूस्त किया जाकर किस्म गैर मुमकिन रास्ते से संशोधित कर बारानी दोयम दर्ज की जावें।

4. अतः तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कीलवा पटवार हल्का कीलवा मे स्थित खातेदारी खेत के नवीन खसरा संख्या 414/792 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 415 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर दोनो खसरो की किस्म में संशोधन कर बारानी दोयम दर्ज कर पालना रिपोर्ट पेश करे। पक्षकार खर्चा हर्जा अपना – अपना वहन करें। इति दिनांक –

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज0)

12-3-18

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 12-3-18 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12-3-18

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सांचौर